

पत्र संख्या : 7वि.शा./मु.देवघर-11-06/2021 ज.सं. 345

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 22/3/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सिंचाई प्रमंडल, सं०-1, बरहेट को गुमानी बराज योजना अन्तर्गत बाँया एफलक्स बाँध के विस्तार हेतु गुमानी नदी के बाँये तरफ एवं मोरांग नदी के दोनों तरफ सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्गत आवंटन रु. 7.40 लाख में से रु. 4.91 लाख (चार लाख एक्यानबे हजार मात्र) राशि का प्रत्यर्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-03/21-22, दिनांक 08.06.2021 (Online AA-581/06.07.2021) एवं आवंटनादेश सं.-61, दिनांक 07.07.2021

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन प्रत्यर्पण स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	प्रत्यर्पित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80- सामान्य	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग/75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	06-अनुदान/ 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड-49S47018079675000649	4.91

प्रत्यर्पित राशि - ₹ चार लाख एक्यानबे हजार मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यर्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2021 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पित राशि	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिंचाई प्रमंडल, सं०-1, बरहेट (SBJHRR014)	देवघर	गुमानी बराज योजना अन्तर्गत बाँया एफलक्स बाँध के विस्तार हेतु गुमानी नदी के बाँये तरफ एवं मोरांग नदी के दोनों तरफ सर्वेक्षण कार्य	7.40	0.00	7.40	4.91	2.49	2.49	31250
योग						7.40	4.91	2.49	2.49	

22/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापक :- 345

राँची, दिनांक :- 22/3/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आर्प सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव